फैक्स/अतिआवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1, तिलक मार्ग लखनऊ-226001

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-30/2015 दिनाँक लखनऊ:अप्रैल 28, 2015

सेवा में,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषय:-मा0 उच्च न्यायालय में दायर जमानत प्रार्थना पत्रों में समय से प्रस्तरवार आख्या दाखिल किये जाने एवं प्रभावी अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

मा0 उच्च न्यायालय में दायर जमानत प्रार्थना पत्रों में समय से समुचित प्रस्तरवार आख्या दाखिल किये जाने एवं प्रभावी अनुश्रवण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-25पी/6-पु-3-2010-2(16)पी/09 दिनांक 07.01.2010 द्वारा जारी किये गये है, परन्तु उन दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन अधिकांश जनपदों में नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप जनपदों से प्रस्तरवार आख्याएं निर्धारित समय से प्राप्त नहीं हो रही है। बिना प्रस्तरवार आख्या के ही मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अधिकांश संख्या में अभियुक्तों की जमानत स्वीकृत की जा रही है। जमानत प्रार्थना पत्रों में समय से प्रस्तरवार आख्या दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर इस मुख्यालय एवं अभियोजन निदेशालय से निर्देश जारी किये गये है, परन्तु स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

जमानत प्रार्थना पत्रों/रिटों के सम्बन्ध में समय से प्रस्तरवार आख्याएं दाखिल किये जाने एवं उनके प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्रों में समय से प्रस्तरवार आख्या प्रेषित न किये जाने वाले प्रकरणों में सुधार न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि जनपदों के नोडल पुलिस अधिकारी द्वारा अपने जनपद में कोई अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति उचित नहीं है।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 में पुलिस महानिरीक्षक, लो0शि0, उ0प्र0 नोडल अधिकारी है तथा जमानत प्रार्थना पत्रों में आख्या हेतु लम्बित प्रकरणों की प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-25पी/6-पु-3-2010-2(16)पी/09 दिनांक 07.01.2010 में दिये गये निर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए एवं समय से जमानत आख्या प्रेषित न करने वाले/शिथिलता बरतने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाय ताकि मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल जमानत प्रार्थना पत्रों पर पूर्ण, सुसंगत एवं तथ्यपरक प्रस्तरवार आख्या, निर्धारित समय सीमा के अन्दर जनपदीय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के परीक्षण के पश्चात नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रेषित की जा सके।

जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा भी इसका अनुश्रवण किया जाय।

(ए0के0 जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।